

मेसर्स रंगा राव एवं सन्स

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

16 मई 2007

(एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी. जे. जे.)

कर्नाटक माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1979 की धारा 15 और 15 (4)-आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त. संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त की पुनरीक्षण शक्तियाँ-शक्ति का प्रयोग-प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पारित आदेश की तारीख से चार साल के निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में त्रुटि के कारण राजस्व के होने वाले नुकसान के संबंध में अभिलेख को तलब किया जाना-यह माना गया-धारा 15 (4) में प्रयुक्त शक्ति के प्रयोग व पुनरीक्षण कार्यवाही जो स्वप्रेरणा से ली गई वह परीसीमा अवधि के भीतर थी- जब पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अभिलेख को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से तलब किया गया तब धारा 15 (1) के तहत कार्यवाही संस्थित हो गई। अतः क्षेत्राधिकार समय सीमा के भीतर प्रयोग किया गया-परीसीमा

मैसूर के स्थानीय क्षेत्र में सभी माल के आयात पर कर लगाने के लिए मूल्यांकन आदेश पारित किया। अपीलार्थी-निर्माता अगरबा द्वारा यह तर्क दिया कि पैकिंग सामग्री पर कच्चे माल के जैसे कर नहीं लगना चाहिए। दिनांक 28.03.1992 के आदेश से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पैकिंग सामग्री को कर से मुक्त किया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश व राजस्व में नुकसान के संबंध में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का रिकॉर्ड दिनांक 16.03.1996 को तलब किया व जांच की, जिसके पश्चात् दिनांक 20.05.1996 को अतिरिक्त आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को धारा 15 (1) कर्नाटक माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1979 के तहत दिया व अभिलेख के जांच पर ये पाया गया कि आदेश दिनांक 28.03.1992 त्रुटिपूर्ण व राजस्व के लिए प्रतिकूल था, क्योंकि पैकिंग सामग्री 2 प्रतिशत अनुसार कर योग्य है। जिसके पश्चात् अतिरिक्त आयुक्त ने निर्धारित को कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसके बाद धारा 15 (1) दिनांक 14/15.10.1996 को आदेश पारित किया। निर्धारित का कहना है कि मात्र अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अवकाशगार में दिनांक 16.03.1996 को प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश में त्रुटि व राजस्व के नुकसान मानने से धारा 15 (1) की कार्यवाही अमल में आना नहीं माना जा सकता, ना ही उक्त कार्यवाही धारा 15 (4) के तहत विहित शक्ति के उपयोग मानी जा सकती है।

अतः पुनरीक्षण कार्यवाही (स्वतः संज्ञान) परीसीमा अवधि में नहीं थी; उक्त कार्यवाही अंतर्गत धारा 15 (1) कारण बताओ नोटिस दिये जाने पर ही शुरू हो सकती है व अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 20.05.1996 को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर शुरू की गई कार्यवाही, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.03.1992 से निर्धारित 4 वर्ष की परीसीमा अवधि के बाहर थी। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 15 (2) के तहत की गई कार्यवाही परीसीमा अवधि से बाधित नहीं थी। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित-

1.1 धारा 15 (1) के अवलोकन से प्रकट है कि आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपआयुक्त स्वप्रेरणा से किसी भी कार्यवाही को अभिलेख तलब कर जांच कर सकते हैं। जिसकी पूर्व शर्तों की उनके अधिनस्थ अधिकारी के आदेश में त्रुटि व राजस्व हितों के प्रतिकूल होना उक्त दोनों शर्तों के पूरी होने पर पुनरीक्षण करने वाला अधिकारी निर्धारित को सुनवाई का अवसर देकर व उक्त परिस्थितियां में उचित जांच कर उचित आदेश पारित कर सकता है। उक्त शक्ति निरीक्षात्मक है, हालांकि इस तथ्य को निर्धारित करने के लिए कि अधिनस्थ द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जिससे राजस्व को प्रतिकूल प्रभाव पडा है, तो आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त वगैरे कार्यवाही के अभिलेख को तलब कर जांच कर

सकती है। अतः पुनरीक्षण प्राधिकारी को रिकॉर्ड तलब कर जांच करनी होगी, उक्त पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने से संतुष्ट होना होगा। जिसके पश्चात् निर्धारित को सुनवाई का अवसर दिया जाकर व उचित जांच कर पुनरीक्षण प्राधिकारी उचित आदेश पारित करने में सक्षम है। (पैरा 7) (1197.ई एफ. जी, 1198 ए,बी)

1.2 अंतर्गत धारा 15 (1) सपठित 15 (4) में कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान नहीं है, जिसका कारण स्पष्ट है। धारा 15 (4) के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी को पुनरीक्षित करने वाले आदेश के पारित होने के 4 वर्ष की समयावधि में शक्ति का प्रयोग करना है। शक्ति के प्रयोग की अवधारणा महत्वपूर्ण है। खासकर वहां जहां नोटिस जारी करने का प्रावधान नहीं है। जब पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अभिलेख को जांच हेतु तलब करता है व उसकी जांच करता है, अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत शक्ति का उपयोग होता है, जो कार्यवाही के संस्थित होने के बराबर है। अवधारणा अनुसार कार्यवाही संस्थित करने में व कार्यवाही के निर्धारित समयावधि में पूर्ण होने में अंतर है। धारा 15 (4) में वर्णित परिसीमा अवधि कार्यवाही संस्थित करने के संदर्भ में है, जबकि 15-बी में निर्धारित समयावधि कार्यवाही के पूर्ण होने के संबंध में है। (पैरा 7) (1198- सी, डी, ई)

1.3 धारा 15-बी के प्रावधान यह इंगित करता है कि उक्त प्रावधान पूर्वव्यापी है। मुख्य टिप्पणी में, धारा 15 वर्णित बातों के होते हुए, आदेश पारित करने की समय सीमा बताई है। यह प्रावधान स्पष्ट है कि धारा 15 में कोई बात होते हुए भी, धारा 6 के तहत कार्यवाही शुरू होने पर अथवा धारा 15 के तहत रिकॉर्ड मंगाने पर, प्राधिकारी को अभिलेख मंगाने के दिवस से 3 साल की अवधि में आदेश पारित करना होगा। परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1.4.1997) से पूर्व तलब किये गये कार्यवाही के अभिलेख के संबंध में पुनरीक्षण प्राधिकारी को विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (लागू 1.4.1997) लागू होने के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में कार्यवाही को पूरा करना होगा। (पैरा 7) (1198.एफ.जी.,एच. 1199.ए)

1.4 धारा 15-बी के तहत कार्यवाही के शुरू होने व कार्यवाही की समाप्ति में द्विभाजन को दर्शाती है। विधायिका का उद्देश्य स्पष्ट है उसने दो कार्यवाही को विभाजित किया है निम्न जो, कार्यवाही का संस्थित होना व कार्यवाही का पूर्ण होना (पूर्ण होने की सीमा) धारा 15 (4) कार्यवाही के संस्थित होने की परिसीमा निर्धारित करती है व धारा 15 भी कार्य पूर्ण होने की समय सीमा को निर्धारित करती है। विधायिका का उद्देश्य अधिकतम छूट जहां प्रकरण में त्रुटि के कारण राजस्व में नुकसान हुआ हो, देना है। परिस्थितियों में 1997 के अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित

तब होती जब पुनरीक्षण प्राधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से तलब करती है। अतः क्षेत्राधिकारिता परिसीमा अवधि में प्रयोग में लाना माना जाता है। अंत में यह कहा गया कि 01.04.1997 को पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध कर अपील लंबित है। इसके अतिरिक्त परिसीमा विधि प्रक्रियात्मक विधि है। अतः उच्च न्यायालय आदेश में कोई अवैधिकता नहीं है।

(पैरा 7) (1199-ए-डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5852/2006

कर-अपील-प्रवेश कर संख्या 22/1996 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 05-08-2006 से।

एके गांगुली वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. बालाजी., टी. शांति और पी. नरसिम्हन - अपीलार्थी के लिए।

संजय आर. हेगड़े., अमित के. चावला., विक्रान्त यादव और रमेश जाधव - उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय कापडिया, जे. द्वारा दिया गया।

1. हस्तगत सिविल अपील निर्धारित द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 05.08.2006 को कर अपील नंबर 22/1996 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध पेश की जिसमें यह निर्धारित किया गया कि

कर्नाटक माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1979 (कथित 1979, अधिनियम) एक्ट के तहत कार्यवाही परिसीमा विधि से निषेध नहीं थी।

2. सिविल अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला एक संक्षिप्त प्रश्न है: क्या अतिरिक्त आयुक्त के द्वारा दिनांक 16.03.1996 को जांच के लिए अभिलेख को तलब किया जाना 1979 अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत परिसीमा अवधि के भीतर शक्ति के प्रयोग की श्रेणी में है?

3. अपीलार्थी ब्रांडेड अगरबतियों का निर्माता है जिसके पास अपनी मैसूर में विनिर्माण इकाई। यह विभिन्न कच्चे माल के मैसूर के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश का कारण बनता है। आकलन वर्ष 1986-87 से 1989-90 के लिए निर्धारण अधिकारी "ए.ओ" ने मैसूर में आयात सभी माल पर कर लगाने का निर्धारण आदेश पारित किया। अपीलार्थी के अनुसार पैकिंग सामग्री पर कच्चे माल की तरह कर नहीं लग सकता। उक्त तथ्य निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया जिससे व्यथित होकर अपील पेश की गई। अपील प्राधिकारी द्वारा पैकिंग सामग्री को कर मुक्त किया, जिसका फैसला दिनांक 28.03.1992 को पारित किया गया। दिनांक 20.05.1996 को निर्धारित अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस धारा 15 (1) के तहत दिया जिसमें यह वर्णित था कि रिकॉर्ड की जांच में उनके द्वारा दिनांक 28.03.1992 का आदेश त्रुटिपूर्ण व

राजस्व हितों के प्रतिकूल इस कारण पाया गया कि 1979 के अधिनियम के अनुसूची में क्रमांक 16 ए के तहत पैकिंग सामग्री 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा नहीं देखा गया। जिसके कारण उनके द्वारा निर्धारण अधिकारी के पैकिंग सामग्री पर कर वसूली के आदेश को खारिज करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया। उक्त परिस्थितियों में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्धारित को इस आशय का दिया कि क्यूं नहीं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को निरस्त किया जाकर निर्धारण अधिकारी के पैकिंग सामग्री पर कर निर्धारण के आदेश को पुनः स्थापित किया जावे। उक्त नोटिस में अतिरिक्त आयुक्त ने वर्णित किया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की जांच दिनांक 16.03.1996 को की गई। अतः पुनरीक्षण कार्यवाही समय सीमा में है।

4. जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस सिविल अपील में जो संक्षिप्त बिंदु निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है वह यह है की क्या दिनांक 16.03.1996 को सिर्फ जाँच के लिए मामले के अभिलेखों को तलब किया जाना कथित 1979 अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत शक्ति के प्रयोग की श्रेणी में है?

5. घटनाओं के कालक्रम को पूरा करने के लिए यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण का दिनांक 28.3.1992 था। जिसके लिए आदेश दिया गया था अतिरिक्त आयुक्त का अभिलेख तलब

करने का आदेश दिनांक 16.03.1996 का था। प्रथम अपीलीय प्राधिकारण के आदेश में त्रुटि के कारण राजस्व में नुकसान के प्रश्न पर दिनांक 16.03.1996 को निर्णय पारित हुआ। कारण बताओ नोटिस 20.05.1996 को दिया गया जो निर्धारित के पास दिनांक 24.05.1996 को प्राप्त हो गया। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अंततः आदेश अंतर्गत धारा 15 (1) 14/15.10.1996 को पारित किया गया। अतः निर्धारित के अनुसार मात्र दिनांक 16.03.1996 को अभिलेख जांच हेतु तलब करने से अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं माना जा सकता और अगर ऐसा होता भी तो कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.05.1996 को दिया गया वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.1992 से 4 वर्ष की निर्धारित समयावधि के पश्चात् है। निर्धारित के अनुसार हस्तगत प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा कार्यवाही संस्थिति कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.05.1996 जारी कर की। निर्धारित के अनुसार धारा 15 (1) के तहत कार्यवाही कारण बताओ नोटिस जारी कर ही की जा सकती है। निर्धारित के अनुसार अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा अपने अवकाश काल में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में त्रुटि के कारण राजस्व के नुकसान के संबंध में आदेश को विश्लेषण दिनांक 16.03.1996 को करना, धारा 15 (1) के तहत कार्यवाही संस्थित होने की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही 1979 के अधिनियम की

धारा 15 (4) के तहत शक्ति के प्रयोग में आता है। परिणामतः निर्धारित के अनुसार पुनरीक्षण कार्यवाही (स्वप्रेरणा) समय सीमा के बाहर थी।

6. कर्नाटक माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1979 स्थानय क्षेत्रों में उपयोग उपभोग व बिक्री पर कर लगाने हेतु बनाया गया जिसमें धारा 3 कर लागू के संबंध में प्रावधान है। धारा 3 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में वर्णित माल के स्थानीय क्षेत्र में उपयोग उपभोग व बिक्री पर निर्धारित दर से, माल के प्रवेश होने पर कर वसूल किया जाता है। धारा 3ए पंजीकृत व्यवहारी से कर वसूली के संबंध में है। अध्याय 3 कर विवरणी दायर करने का, निर्धारण करने का, कर देय करने का, वसूली और करों के संग्रह के संबंध में है। धारा 5 के तहत रजिस्टर्ड डीलर को प्रतिवर्ष कर विवरण निर्धारण अधिकारी के यहां पर निर्धारित समयावधि में भरना हुआ । धारा 5 (4), 5 (5) निर्धारण आदेश पारित करने के संबंध में है। धारा 8 कर भुगतान व वसूली के संबंध में हैं अध्याय 5 अपील व पुनरीक्षण के बाबत है। धारा 15 अध्याय 5 का भाग है। नीचे धारा 15 व धारा 15 बी को वर्णित किया जा रहा है।

"15. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त की पुनरीक्षण शक्तियाँ: (1) आयुक्त अपने स्वयं के संज्ञान से किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को तलब कर जांच इस अधिनियम के तहत कर सकता है एवं यदि उसे

यह लगे कि उसके अधिनस्थ अधिकारी के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है तो वह आवश्यक हो तो आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित उस अवधि जब तक वह उचित समझे कर सकता है व निर्धारित को सुनवाई का अवसर देकर एवं जांच करके या करवाकर जैसा वह उचित समझे परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करेगा जिसमें मूल्यांकन को बढ़ाना, बदलना, खारिज करना या नवीन गणना करने का आदेश शामिल है।

(2) अतिरिक्त आयुक्त स्वयं के संज्ञान से किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को तलब कर जांच इस अधिनियम के तहत कर सकता है एवं यदि उसे यह लगे कि संयुक्त आयुक्त अथवा उपायुक्त की श्रेणी की अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है तो वह आवश्यक हो तो आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित उस अवधि जब तक वह उचित समझे कर सकता है व निर्धारित को सुनवाई का अवसर देकर एवं जांच करके या करवाकर जैसा वह उचित समझे परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए

आदेश पारित करेगा जिसमें मूल्यांकन को बढ़ाना, बदलना, खारिज करना या नवीन गणना करने का आदेश शामिल है।

(3) संयुक्त आयुक्त स्वयं के संज्ञान से किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को तलब कर जांच इस अधिनियम के तहत कर सकता है एवं यदि उसे यह लगे कि उपायुक्त की श्रेणी की अपीलीय प्राधिकारण द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है तो वह आवश्यक हो तो आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित उस अवधि जब तक वह उचित समझे कर सकता है व निर्धारित को सुनवाई का अवसर देकर एवं जांच करके या करवाकर जैसा वह उचित समझे परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करेगा जिसमें मूल्यांकन को बढ़ाना, बदलना, खारिज करना या नवीन गणना करने का आदेश शामिल है।

(4) उपधारा (1) से (3) के तहत शक्ति का उपयोग संशोधित किए जाने के लिए मांगे गए आदेश के पारित होने की तारीख से केवल चार साल की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: परिसीमा की अवधि के लिए उपधारा 4 के तहत किसी न्यायालय के आदेश अथवा अंतरिम आदेश के तहत कार्यवाही के स्थगित रहने की अवधि की गणना से बाहर रखा जाएगा।

15.बी. कुछ कार्यवाहियों के संबंध में आदेश पारित करने के संबंध में परिसीमा (1) धारा 6 व धारा 15 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 6 के तहत जहां कार्यवाही संस्थित की गई है अथवा धारा 15 के तहत अभिलेख को तलब किया गया है प्राधिकारी जो उक्त धारा में वर्णित किया गया है उसे जैसा भी मामला हो कार्यवाही संस्थित होने के अथवा अभिलेख तलब करने की 3 वर्ष की अवधि में आदेश पारित करना होगा।

बशर्ते कि कर्नाटक कराधान कानून संशोधन अधिनियम 1977 के लागू होने की तारीख से पहले शुरू की गई कार्यवाही या तलब किये गये अभिलेख के संबंध में आदेश 4 वर्ष की अवधि के भीतर पारित किए जाएंगे।

(2) उप.धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में, उस अवधि को बाहर रखा जाएगा जिसके दौरान किसी

न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को स्थगित रखा गया।"

7. धारा 15 (1) के प्रावधान अनुसार आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त स्वयं के संज्ञान से किसी भी कार्यवाही के अभिलेख को तलब कर जांच इस अधिनियम के तहत कर सकता है एवं यदि उसे यह लगे कि उसके अधिनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है तो वह आवश्यक हो तो आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित उस अवधि जब तक वह उचित समझे कर सकता है व निर्धारित को सुनवाई का अवसर देकर एवं जांच करके या करवाकर जैसा वह उचित समझे परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करेगा जिसमें मूल्यांकन को बढ़ाना, बदलना, खारिज करना या नवीन गणना करने का आदेश शामिल है। स्वप्रेरणा से प्रयोग में ली गई शक्ति के लिए दो पूर्ववर्ती शर्तें निम्न हैं पुनरीक्षण अधिकारी के अधिनस्थ अधिकारी के आदेश में त्रुटि व राजस्व हितों के प्रतिकूल होना उक्त दोनों शर्तों के पूरी होने पर पुनरीक्षण प्राधिकारी सशक्त है कि वह कर निर्धारण करने वाला अधिकारी निर्धारित को सुनवाई का अवसर देकर जांच करने के पश्चात जैसा उसे उचित लगे उक्त परिस्थितियों में आदेश पारित कर सकता है। उक्त शक्ति निरीक्षाणात्मक है, हालांकि इस तथ्य को निर्धारण करने के लिए कि

अधिनस्थ अधिकारी के द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जिससे राजस्व को प्रतिकूल प्रभाव पडा है, तो आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त वगैरे कार्यवाही के अभिलेख को तलब कर जांच कर सकती है। अतः पुनरीक्षण प्राधिकारी को रिकॉर्ड तलब कर जांच करनी होगी, उक्त पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने से संतुष्ट होना होगा। जिसके पश्चात् निर्धारित को सुनवाई का अवसर दिया जाकर व उचित जांच कर पुनरीक्षण प्राधिकारी उचित आदेश पारित करने में सक्षम है।

यहां यह नोट किया जाना आवश्यक है कि अंतर्गत धारा 15 (1) में कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान नहीं है जैसा कि अन्य किसी सामान आधिनियम में होता है। हालांकि, धारा 15 के उपधारा (1)(2)(3) पुनरीक्षण किये जाने आदेश के पारित होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रयोग की जा सकती है। इसलिए अंतर्गत धारा 15 (4) परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण प्राधिकारी को केवल 4 वर्ष के पुनरीक्षण किये जाने आदेश की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ही उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करना है इसलिए धारा 15 सपठित धारा 15 (4), में कारण बताओ नोटिस के जारी करने का प्रावधान नहीं है जिसका कारण स्पष्ट है। धारा 15 (4) के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी को पुनरीक्षित करने वाले आदेश के पारित होने के 4 वर्ष की समयावधि में शक्ति का प्रयोग करना है। शक्ति के प्रयोग की अवधारणा

महत्वपूर्ण है। खासकर वहां जहां नोटिस जारी करने का प्रावधान नहीं है। जब पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अभिलेख को जांच हेतु तलब करता है व उसकी जांच करता है, अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत शक्ति का उपयोग होता है, जो कार्यवाही के संस्थित होने के बराबर है। इसके साथ में एक और तथ्य को ध्यान दिया जाना है अवधारणा अनुसार कार्यवाही संस्थित करने में व कार्यवाही के निर्धारित समयावधि में पूर्ण होने में अंतर है। धारा 15 (4) में वर्णित परिसीमा अवधि कार्यवाही संस्थित करने के संदर्भ में है। जबकि 15-बी में निर्धारित समयावधि कार्यवाही के पूर्ण होने के संबंध में है। हमारे विचार में, धारा 15-बी परन्तुकों के साथ पढ़ने पर के प्रावधान यह इंगित करता है कि उक्त प्रावधान पूर्वव्यापी है। सर्वप्रथम मुख्य टिप्पणी में, धारा 15 वर्णित बातों के होते हुए, आदेश पारित करने की समय सीमा बताई है। यह प्रावधान स्पष्ट है कि धारा 15 में किस बात के होते हुए भी, धारा 6 के तहत कार्यवाही शुरू होने पर अथवा धारा 15 के तहत रिकॉर्ड मंगाने पर, प्राधिकारी को अभिलेख मंगाने के दिवस से 3 साल की अवधि में आदेश पारित करना होगा। परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि कनार्टक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1.4.1997) से पूर्व तलब किये गये कार्यवाही के अभिलेख के संबंध में पुनरीक्षण प्राधिकारी को विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (01.04.1997) लागू होने के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में कार्यवाही को पूरा करना होगा। हमारी नजर में धारा 15-बी के तहत कार्यवाही के शुरू होने व कार्यवाही की समाप्ति

में द्विभाजन को दर्शाती है। विधायिका का उद्देश्य स्पष्ट है। उसने दो कार्यवाही को विभाजित किया है जो निम्न हैं, कार्यवाही का संस्थित होना व कार्यवाही का पूर्ण होना (पूर्ण होने की सीमा) धारा 15 (4) कार्यवाही के संस्थित होने की परिसीमा निर्धारित करती है व धारा 15 भी कार्य पूर्ण होने की समय सीमा को निर्धारित करती है। हमको यह ध्यान में रखना होगा कि विधायिका का उद्देश्य अधिकतम छूट जहां प्रकरण में त्रुटि के कारण राजस्व में नुकसान हुआ हो, देना है। उक्त परिस्थितियों में 1979 के अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित तब होती जब पुनरीक्षण प्राधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से तलब करती है। अतः क्षेत्राधिकारिता परिसीमा अवधि में प्रयोग में लाना माना जाता है। अतः हम यह कहते हैं कि 01.04.1997 को हस्तगत प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कर अपील कर अपील सं.ई.टी. 22/96 लंबित है। इसके अतिरिक्त परिसीमा विधि प्रक्रियात्मक विधि है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश में कोई अवैधिकता नहीं है।

8. समापन करने से पहले, हम यह बता सकते हैं किए जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कर्नाटक माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1979 के तहत कुछ अन्य अधिनियमों के विपरीत, जिनके तहत निर्धारित सीमा केवल कार्यवाहियों के पूरा होने के संबंध में थी, में कार्यवाही संस्थित करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, कार्यवाही के पूरा करने की समय

सीमा को भी निर्धारित किया गया है। हम उन प्रावधानों/अधिनियमों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारा वर्तमान निर्णय पूर्णतया 1979 के अधिनियम तक ही सीमित है।

9. उपरोक्त वर्णित आधारों पर हम विवादित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई गलती नहीं पाते हैं एवं तदनुसार निर्धारित द्वारा दायर सिविल अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। हर्जा खर्चा पर कोई आदेश नहीं दिया जाता। जहां तक मामले के गुणावगुण का संबंध है, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सामने इस पर बहस नहीं की गई है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशिमा माथुर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।